सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ, 1941 (श०)

संख्या- 474 राँची, शुक्रवार, 17 जून, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

11 जून, 2019

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, बोकारो का पत्रांक-1912/सा०, दिनांक 30.11.2017 एवं पत्रांक-524/विधि, दिनांक-07.05.2018
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-12580, दिनांक-27.12.2017, पत्रांक-1502, दिनांक-26.02.2018 एवं पत्रांक-870, दिनांक 30.01.2019

संख्या-5/आरोप-1-183/2017 का.- 4568-- श्री महावीर सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-549/03, गृह जिला- नवादा), के कार्यपालक दण्डाधिकारी, चास, बोकारो के कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-1912/सा०, दिनांक 30.11.2017 द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' में प्राप्त है, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. दिनांक-25.09.2014 को विचाराधीन बंदी बसंत कुमार गुप्ता कारा मुक्त के पश्चात् कारा गेट की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण चिकित्सा हेतु सदर अस्पताल, बोकारो तथा वहाँ से रेफर किये जाने के फलस्वरूप बोकारो जेनरल अस्पताल, बोकारो भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किया गया। शव का अन्त्य परीक्षण, विडियोग्राफी के साथ कराने हेतु अनुमंडल दण्डाधिकारी, चास के पत्रांक-810/गो०, दिनांक-26.09.2014 द्वारा श्री महावीर सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो को प्रतिनियुक्त किया गया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर चास के पत्रांक-04/सदर,

दिनांक-04.01.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिंह के द्वारा अन्त्य परीक्षण एवं विडियोग्राफी से संबंधित प्रतिवेदन थाना में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2. श्री महावीर सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-12580, दिनांक-27.12.2017 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री सिंह के पत्रांक-130/स्था०, दिनांक-30.01.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1502, दिनांक-26.02.2018 द्वारा उपायुक्त, बोकारो से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-524/विधि, दिनांक-07.05.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, बोकारो द्वारा अपने मंतव्य में श्री सिंह के स्पष्टीकरण को तथ्यों से परे प्रतिवेदित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, बोकारो के समीक्षोपरान्त, श्री सिंह की सेवा को असंतोषप्रद मानते हुए पेंशन नियमावली के नियम-139(ख) एवं (ग) के तहत् इनके पेंशन से 10% (दस) प्रतिशत की राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने के प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-870, दिनांक 30.01.2019 द्वारा श्री सिंह से कारण पृच्छा की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री सिंह के पत्र, दिनांक 16.03.2019 द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

श्री सिंह से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-524/विधि, दिनांक 07.05.2018 से स्पष्ट है कि श्री सिंह को अनुमंडल पदाधिकारी, चास का आदेश ज्ञापांक-810/गो०, दिनांक 26.09.2014 उनके कार्यालय में प्राप्त कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्त्य परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री बसंत कुमार गुप्ता का अन्त्य परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा श्री सिंह की उपस्थिति में दिनांक 26.09.2014 को अपराह्न 09:15 बजे किया गया। अतः श्री सिंह का कथन कि उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी, चास के आदेश ज्ञापांक-810/गो०, दिनांक 26.09.2014 की जानकारी नहीं थी, ग्राह्य प्रतीत नहीं होता है। समीक्षोपरांत, श्री सिंह के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-139(ख) एवं (ग) के तहत इनकी सेवा को असंतोषजनक मानते हुए 3 (तीन) वर्ष की अवधि हेतु इनके पेंशन से 10% (दस) प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपण किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 474 -- 50